

जल संसाधन मंत्रालय

मांग संख्या 104

जल संसाधन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	493.36	469.32	962.68	1373.20	539.20	1912.40	536.50	558.05	1094.55	1302.55	574.75	1877.30	
पूँजी	82.16	-1.75	80.41	126.80	1.80	128.60	113.50	1.80	115.30	197.45	1.80	199.25	
जोड़	575.52	467.57	1043.09	1500.00	541.00	2041.00	650.00	559.85	1209.85	1500.00	576.55	2076.55	
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	3451	...	49.97	49.97	...	75.28	75.28	...	73.38	73.38	...	50.89	50.89
बृहद तथा मध्यम सिंचाई													
2. केन्द्रीय जल आयोग	2701	3.62	151.10	154.72	...	156.58	156.58	...	160.05	160.05	...	170.57	170.57
3. केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र	2701	...	8.28	8.28	...	8.49	8.49	...	10.88	10.88	...	12.01	12.01
4. केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र	2701	...	33.11	33.11	...	36.42	36.42	...	40.08	40.08	...	44.10	44.10
5. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	2701	...	10.17	10.17	...	10.05	10.05	...	12.00	12.00	...	9.65	9.65
6. अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	2701	34.20	...	34.20	92.00	...	92.00	33.85	...	33.85	48.00	...	48.00
7. अन्य													
7.01 बोर्ड और समितियां	2701	...	1.28	1.28	...	2.95	2.95	...	2.90	2.90	...	2.53	2.53
4701
जोड़	...	1.28	1.28	...	2.95	2.95	...	2.90	2.90	...	2.53	2.53	
8. राज्यों का आयोजना-भिन्न अनुदान													
8.01 सतलुज-यमुना लिंक नहर परियोजना के लिये सहायता	3601	18.04	18.04	...	1.63	1.63	...	5.79	5.79
9. जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	2701	46.00	...	46.00	64.45	...	64.45	34.58	...	34.58	137.91	...	137.91
2702	0.01	...	0.01	0.02	...	0.02
3601	7.54	...	7.54	10.48	...	10.48	3.60	...	3.60	10.00	...	10.00	
3602	0.05	...	0.05	0.06	...	0.06	0.06	...	0.06	0.07	...	0.07	
जोड़	53.59	...	53.59	75.00	...	75.00	38.24	...	38.24	148.00	...	148.00	
10. अवसंरचना विकास	2701	2.13	...	2.13	3.20	...	3.20	1.50	...	1.50	2.55	...	2.55
11. जल विज्ञान परियोजना													
11.01 ईएपी घटक	2701	26.61	...	26.61	64.40	...	64.40	41.50	...	41.50	64.40	...	64.40
11.02 ईएपी-भिन्न घटक	2701	1.04	...	1.04	5.60	...	5.60	2.22	...	2.22	5.60	...	5.60
जोड़- जल विज्ञान परियोजना		27.65	...	27.65	70.00	...	70.00	43.72	...	43.72	70.00	...	70.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
12. जल संसाधन विकास योजना का अन्वेषण	2701	52.97	...	52.97	
13. सूचना, शिक्षा तथा संचार	2701	14.32	...	14.32	
14. बाँध सुरक्षा अध्ययन तथा योजना	2701	1.38	...	1.38	
15. नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण	2701	
16. मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण	2701	85.00	...	85.00	29.90	...	29.90	85.00	...	85.00
17. नदी बेसिन प्रबंधन	2701	106.00	...	106.00	53.40	...	53.40	100.00	...	100.00
18. राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन	2701	200.00	...	200.00	0.25	...	0.25	110.00	...	110.00
19. सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम	2701	90.00	...	90.00	0.75	...	0.75	40.00	...	40.00
20. बांध पुनर्स्थापना सुधार परियोजना													
20.01 ईएपी घटक	2701	19.00	...	19.00	1.84	...	1.84	28.88	...	28.88
20.02 गैर ईएपी घटक	2701	5.00	...	5.00	0.46	...	0.46	7.12	...	7.12
जोड़- बांध पुनर्स्थापना सुधार परियोजना		24.00	...	24.00	2.30	...	2.30	36.00	...	36.00
जोड़-बृहद तथा मध्यम सिंचाई		189.86	203.94	393.80	745.20	232.53	977.73	203.91	227.54	431.45	639.55	244.65	884.20
लघु सिंचाई													
21. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	2702	...	103.36	103.36	...	105.98	105.98	...	123.18	123.18	...	134.31	134.31
22. राजीव गांधी एनजीडब्ल्यूटी एंड आरआई	2702	3.65	...	3.65
23. भूमिगत जल प्रबंधन और विनियमन	2702	130.75	...	130.75	288.00	...	288.00	150.00	...	150.00	235.00	...	235.00
24. अवसंरचना विकास	4702	6.97	...	6.97	33.80	...	33.80	3.63	...	3.63	28.00	...	28.00
25. मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण	2702	15.00	...	15.00	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00
जोड़-लघु सिंचाई		141.37	103.36	244.73	336.80	105.98	442.78	162.63	123.18	285.81	272.00	134.31	406.31
बाढ़ नियंत्रण													
26. केन्द्रीय जल आयोजन	2711	...	70.24	70.24	...	75.62	75.62	...	75.11	75.11	...	78.96	78.96
27. पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में संकटकालीन बाढ़ बचाव निर्माण कार्य	7601	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
28. बाढ़ नियंत्रण की अन्य स्कीमें													
28.01 बाढ़ पूर्वानुमान	2711	33.13	...	33.13	44.00	...	44.00	26.00	...	26.00	130.00	...	130.00
28.02 नदी प्रबंधन कार्यक्रमलाप और सीमा क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य	2711	62.60	...	62.60	25.00	...	25.00	23.06	...	23.06	61.00	...	61.00
जोड़		73.37	...	73.37	100.00	...	100.00	6.94	...	6.94	64.00	...	64.00
जोड़- बाढ़ नियंत्रण की अन्य स्कीमें		135.97	...	135.97	125.00	...	125.00	30.00	...	30.00	125.00	...	125.00
28.03 अवसंरचना विकास	4711	5.73	...	5.73	10.00	...	10.00	4.57	...	4.57	18.45	...	18.45
28.04 नदी बेसिन प्रबंधन	2711	14.00	...	14.00	0.68	...	0.68	15.00	...	15.00
जोड़- बाढ़ नियंत्रण की अन्य स्कीमें		174.83	...	174.83	193.00	...	193.00	61.25	...	61.25	288.45	...	288.45
जोड़-बाढ़ नियंत्रण		174.83	70.24	245.07	193.00	78.62	271.62	61.25	78.11	139.36	288.45	81.96	370.41
29. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं के अधीन प्रावधान													

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
29.01	अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	2552	8.00	...	8.00	1.15	...	1.15	2.00	...	2.00	
29.02	पगलाडिया बाँध परियोजना	2552	
29.03	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	2552	10.00	...	10.00	1.76	...	1.76	2.00	...	2.00	
29.04	भूमिगत जल प्रबंधन और विनियमन	2552	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	40.00	...	40.00	
29.05	जल संसाधन विकास योजना का अन्वेषण	2552	
29.06	बाढ़ पूर्वानुमान	2552	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	20.00	...	20.00	
29.07	नदी प्रबंधन कार्यालय और सीमा क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य	2552	
29.08	अवसंरचना विकास	4552	8.00	...	8.00	5.30	...	5.30	1.00	...	1.00	
29.09	मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण	2552	
29.10	सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम	2552	10.00	...	10.00	
29.11	नदी बेसिन प्रबंधन	2552	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	85.00	...	85.00	
	जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं के अधीन प्रावधान		150.00	...	150.00	122.21	...	122.21	150.00	...	150.00	
अन्य परिवहन सेवाएं														
30.	फरक्का बैराज परियोजना	3075	...	41.81	41.81	...	49.79	49.79	...	58.84	58.84	...	65.94	65.94
		5075	69.46	...	69.46	75.00	...	75.00	100.00	...	100.00	150.00	...	150.00
		5075	...	-1.75	-1.75	...	-1.20	-1.20	...	-1.20	-1.20	...	-1.20	-1.20
	कुल		69.46	40.06	109.52	75.00	48.59	123.59	100.00	57.64	157.64	150.00	64.74	214.74
कुल जोड़			575.52	467.57	1043.09	1500.00	541.00	2041.00	650.00	559.85	1209.85	1500.00	576.55	2076.55
	विकास शीर्ष		बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय														
1.	वृहत और मध्यम सिंचाई	12701	189.86	...	189.86	745.20	...	745.20	203.91	...	203.91	639.55	...	639.55
2.	लघु सिंचाई	12702	141.37	...	141.37	336.80	...	336.80	162.63	...	162.63	272.00	...	272.00
3.	बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी	12711	174.83	...	174.83	193.00	...	193.00	61.25	...	61.25	288.45	...	288.45
4.	अन्य परिवहन सेवाएं	13075	69.46	...	69.46	75.00	...	75.00	100.00	...	100.00	150.00	...	150.00
5.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	150.00	...	150.00	122.21	...	122.21	150.00	...	150.00
जोड़			575.52	...	575.52	1500.00	...	1500.00	650.00	...	650.00	1500.00	...	1500.00

1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं: मंत्रालय के सचिवालय व्यय हेतु गैर-योजना प्रावधान है।

2. **राष्ट्रीय जल अकादमी:** केंद्रीय जल आयोग हेतु प्रावधान किया गया है।
6. **जल क्षेत्र संबंधी अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम:** स्कीम के मुख्य उद्देश्य हैं :
- (i) देश की जल संसाधनों से संबंधित समस्याओं का समाधान खोजना ; उपलब्ध प्रौद्योगिकी तथा इंजीनियरिंग पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं में सुधार करना । (ii) नवीनतम प्रौद्योगिकी में अग्रणी भूमिका को बनाए रखना । (iii) राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संगत सूचना एकत्र कर विषय क्षेत्र की विभिन्न शाखाओं में देश की आधुनिक तकनीक की समीक्षा करना तथा ज्ञान संबंधी अंतराल को निर्धारित करना; अंतराल को कम करने हेतु उपयुक्त कार्यविधि तैयार एवं कार्यान्वित करना। (iv) जल संसाधन क्षेत्र में देश के विभिन्न संस्थानों द्वारा आरंभ किए जाने वाले अनुसंधान कार्यक्रमों का प्रचार, समन्वित करना तथा वित्तपोषण हेतु उनकी सिफारिश करना। (v) पत्रिकाएं, अनुसंधान समाचार/डाइजेस्ट प्रकाशित कर संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं का प्रबंध एवं आयोजना कर विषय से संबंधित सूचना का प्रचार तथा सोच को प्रोत्साहित करना। (vi) जल क्षेत्र में शैक्षिक, प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
9. **जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास:** जल संसाधन सूचना प्रणाली संबंधी स्कीम में उपग्रह से प्राप्त आकृतियों तथा अन्य सूचना के प्रयोग द्वारा मुख्य रूप से मौजूदा प्रणाली, वाटरशेड मानचित्रों से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को संकलित करके राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आंकड़ा आधार व आंकड़ा बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है ।
10. **अवसंरचना विकास:** जल संसाधन मंत्रालय की अवसंरचनात्मक विकास स्कीम को वर्तमान चार स्कीमों अर्थात् (i) भूमि एवं भवन निर्माण (एल एंड बी) और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी योजना (ii) केंद्रीय जल आयोग का एल एंड बी, (iii) जल संसाधन मंत्रालय का सूचना प्रौद्योगिकी विकास एवं (iv) सीडब्ल्यूसी के कम्प्यूटरीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का उन्नयन/आधुनिकीकरण के आमेलन/एकीकरण द्वारा तैयार किया गया है।
11. **जल विज्ञान परियोजना:** जल विज्ञान संबंधी जानकारी प्रणाली के सतत् एवं कारगर प्रयोग को बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए जल विज्ञान परियोजना चरण-II (एच.पी.-II) में तेरह राज्य और आठ केन्द्रीय संगठन भागीदार हैं । कई प्रमुख/खास कार्यकलाप हैं जो परियोजना विकास उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए जरूरी हैं और जिन्हें XIIवीं योजना में जारी रखने की संभावना है ।
16. **मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण:** इसमें चार घटक अर्थात् 1. सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी), 2. राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए), 3. राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण संस्थाएँ (आरजीआई) एवं 4. क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं ।
17. **नदी बेसिन प्रबंधन:** नदी बेसिन प्रबंधन एक नामित की गई नई स्कीम है जिसे दो निर्माणाधीन स्कीमों नामतः नदी बेसिन संगठन, जल संसाधन विकास स्कीम के अन्वेषण का आमेलन करके तैयार किया गया है। निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत स्कीम में सीडब्ल्यूसी की पुनःसंरचना और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कार्यकलाप भी शामिल हैं।

(i) नदी बेसिन संगठन: आरबीओ

(ii) जल संसाधन विकास स्कीम का अन्वेषण

(iii) सीडब्ल्यूसी की पुनः संरचना:-

(iv) ब्रह्मपुत्र बोर्ड: ब्रह्मपुत्र बोर्ड

18. **राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन:** भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना ने आठ राष्ट्रीय मिशनों, जिसमें अन्य बातों के साथ – साथ "राष्ट्रीय जल मिशन" भी शामिल है, के सांस्थानीकरण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की चुनौतियों से पार पाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को अभिज्ञात किया है । राज्य सरकारों, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, गैर-सरकारी संगठनों, अकादमियों आदि के पूर्ण सहयोग सहित परामर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल मिशन के लिए मिशन दस्तावेज का मसौदा तैयार किया गया था । राष्ट्रीय जल मिशन का लक्ष्य "एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्य के बाहर और भीतर दोनों जगहों पर जल का संरक्षण, जल की बर्बादी में कमी लाना और इसका अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना है ।

19. **सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम:** सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम XIIवीं पंचवर्षीय योजना में 10000.00 करोड़ रुपए के प्रस्तावित परिव्यय से शुरू की गई एक नई स्कीम है ।

जल प्रयोक्ताओं के विभिन्न वर्गों के बीच जल के अविवेकपूर्ण अन्तर क्षेत्रीय और अन्तः क्षेत्रीय वितरण की पहचान करना, निम्न जल उपयोग दक्षता, जल संसाधनों की आयोजना एवं विकास के प्रति असमान दृष्टिकोण, निम्न जल उपयोग प्रभार और उनकी अपर्याप्त वसूली आदि देश में जल संसाधन के प्रबंधन के साथ जुड़ी कुछ प्रमुख समस्याएँ हैं । 13वें वित्त आयोग ने इस संबंध में कई सिफारिशें की थीं। इनमें से एक, जल क्षेत्र प्रबंधन को अपने परिणाम सुधारने के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन अनुदान देने की सिफारिश है । अनुदान अर्हता के लिए आयोग ने शर्तें सुझाई थीं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक प्रत्येक वर्ष के लिए सिंचाई सेवा शुल्क (आईएसएफ) की वसूली की अपेक्षित दर के लिए राज्य-वार लक्ष्य शामिल हैं ।

20. **बांध पुनर्स्थापना सुधार परियोजना:** सरकार ने विश्व बैंक की सहायता वाली बाँध पुनर्स्थापना एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के कार्यान्वयन के लिए स्कीम तैयार की है जिसके तहत केरल, मध्य प्रदेश, औडिशा और तमिलनाडु राज्यों में 223 बांधों के पुनर्स्थापना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है विश्व बैंक के साथ करार सम्पन्न करने के बाद सभी डीआरआईपी क्रियाकलाप इस वित्त वर्ष से शुरू किए जाएंगे जो लगभग 6 वर्ष तक चलेगें। इस, परियोजना से चूनिदां मौजूदा बांधों संचालन निष्पादन के सुधार होगा और घटते जोखिमों के साथ सुरक्षा वठेगी और साथ ही इन चार राज्यों में बाँध सुरक्षा सांस्थानिक सुदृढीकरण और केन्द्रीय जल आयोग में बाँध सुरक्षा संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ करने का भी प्रस्ताव है

23. **भूमि जल प्रबंधन तथा विनियमन:** विभिन्न प्रकार की जलवैज्ञानिक स्थितियों के अंतर्गत तथा बेहतर भूमिजल गवर्नेंस हेतु 12वीं योजना के दौरान प्रस्तावित मुख्य कार्य-कलाप इस प्रकार होंगे : (i) जलभूत मानचित्रिकरण (ii) भूमि जल प्रबोधन प्रेषण कुओं का सुदृढीकरण। XII वीं योजना

28.01. **बाढ़ पूर्वानुमान:** बाढ़ पूर्वानुमान को, बाढ़ संभावित क्षेत्रों को पहले से चेतावनी देकर बाढ़ प्रबंधन के लिए एक कारगर उपाय के तौर पर जाना जाता है। भारत में बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी देने के कार्य में- अंतर-राज्यीय नदियों पर जल विज्ञानीय प्रेक्षण शामिल है और यह कार्य केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को सौंपा गया है।

सीडब्ल्यूसी ने IXवीं योजना के दौरान अपने बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क का आधुनिकीकरण प्रारंभ कर दिया था।

बाढ़ पूर्वानुमान जो कि एक गैर संरचनात्मक उपाय है, बाढ़ के दौरान लोगों के जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

28.02. **सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन कार्यकलाप:** सभी कार्य अर्थात् नेपाल, भूटान, चीन और बांग्लादेश की द्विपक्षीय बैठकों पर किया गया व्यय, बांग्लादेश के साथ हुई गंगा जल संधि 1996 के अंतर्गत बांग्लादेश के साथ गंगा के जल के बंटवारे हेतु बांग्लादेश के साथ किए गए संयुक्त जलविज्ञानीय प्रेक्षण करने, नेपाल, भूटान, चीन से भारत को प्रवाहित होने वाली नदियों पर बाढ़ पूर्वानुमान संबंधी कार्यकलाप जिसमें चीन सरकार को सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियों के बाढ़ संबंधी आंकड़े प्राप्त करने पर प्रभार देना तथा गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) की स्थापना लागत इत्यादि शामिल है, जबकि जीएफसीसी की स्थापना निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है तथा यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अंतः XIIवीं योजना के दौरान ये कार्यकलाप जारी रहेंगे। इसी तरह गंगा-बेसिन की बाढ़ समस्याओं की जीएफसीसी द्वारा की जाने वाली जांच जारी रहेगी तथा इसकी स्थापना को भी जारी रखने की आवश्यकता है।

30. **फरक्का बैराज परियोजना:** फरक्का बैराज परियोजना के रखरखाव गतिविधियों, कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट के परिरक्षण और रखरखाव संबंधी इसके कार्य तथा भारत-बांग्लादेश में जल के बंटवारे संबंधी संधि 1996 के कार्यान्वयन हेतु परियोजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए योजना स्कीम को जारी रखने की सिफारिश की गई है। XIIवीं योजना के दौरान गंगा/पदमा और भागीरथी नदियों पर एफलक्स बंध और गाईड बंधों सहित सभी क्षतिग्रस्त फाटकों को बंद और खोलने की अतिरिक्त गतिविधियों/नदी प्रशिक्षण/तटीय सुरक्षा कार्य पूरा करने का प्रस्ताव किया गया है।